अति आवश्यक पंचायत पुनर्गठन

कार्यालय जिला कलेक्टर, जालोर

दुरभाष नम्बर : 02973–222216 ई–मेल : collpan.jal-rj@nic.in

क्रमांक/पंचायत/पुनर्गठन/2019/ 1104 दिनांक: 04–10–2019

–:: संशोधित आदेश ::–

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पत्रांक 2838 दिनांक 27.09.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/नवसृजन/पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया गया था कि जिन प्रस्ताव/सुझावो का प्रकाशन पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के अन्तर्गत पूर्व में प्रकाशित नही किया गया है उन प्रस्तावों का प्रकाशन 01.10.2019 तक किया जाना है।

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 01.10.2019 को प्रकाशित प्रारूप "क" के अन्तर्गत त्रुटिवंश पंचायत समिति भीनमाल से प्रस्तावित/नवसृजित पंचायत समिति बागोडा में निम्नांकित ग्राम पंचायतो यथा राऊता (पुनर्गठित), नांदिया (पुनर्गठित) एवं नवसृजित ग्राम पंचायत सोबड़ावास के प्रस्तावों का प्रकाशन पूर्व में दिनांक 29.07.2019 को प्रारूप प्रकाशन "क" में कर दिया गया था, परन्तु सहवन से पुनः प्रकाशन कर दिया गया है।

अतः दिनांक 01.10.2019 को पंचायत समिति भीनमाल से प्रस्तावित नवसृजित पंचायत समिति बागोडा के अन्तर्गत प्रारूप 'क' में उपरोक्त ग्राम पंचायतो का प्रकाशन शुन्य घोषित किया जाता है।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

क्रमांक/पंचायत/पुनर्गठन/2019/ 1105–1112 दिनांक: 04–10–2019

प्रतिलिपि :–

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राज., जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर
4. उपखण्ड अधिकारी, बागोडा
5. तहसीलदार बागोडा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संशोधित आदेश संबधित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालना रिपोर्ट आज ही भिजवाई जावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भीनमाल
7. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर
8. ए.सी.पी. (उप निदेशक), सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, जालोर को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित आदेश का प्रकाशन वेबसाईट www.jalore.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

जिला कलेक्टर
जालोर